न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 78 / 2024
वादीगण

1. दिया चौकीदार पुत्री बालूराम पत्नी रमेश जाति बावरी निवासी चौकीदारों का बास बिलाडा तहसील बिलाडा
2. संतोष पुत्री बालुराम पत्नी अशोक जाति बावरी निवासी सिंधीपुरा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मदनराम पुत्र बालूराम
2. पप्पूराम पुत्र बालूराम
3. कमलादेवी पुत्री बालूराम
4. प्रेमदेवी पुत्री बालूराम
5. राजूदेवी पुत्री बालूराम
6. विमलादेवी पुत्री बालूराम
7. सीतादेवी पत्नी बालूराम जातियान बावरी निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः–वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 7 की ओर श्री प्रकाश राठौड एडवोकेट
प्रतिवादी सं. 8 –सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः–** 23/09/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 661 रकबा 2.7506 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादीगण के पिता बालूराम पुत्र करनाराम जी की सयुक्त खातेदारी की थी। बालूराम जी के दो पुत्र मदनराम, पप्पूराम तथा छः पुत्रीयां दिया, संतोष, कमलादेवी, प्रेमदेवी, राजूदेवी, विमलादेवी पत्नी सीतादेवी है। खातेदार बालूराम जी का देहान्त सन् 2004 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादीगण के पिता बालूराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादीगण का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश दीपादेवी व नेतुदेवी नाम लिख दिया, जबकि वादीगण का वास्तविक नाम दिया चौकीदार व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संतोष है। ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 659/3 रकबा 2.4270 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादीगण के पिता बालूराम पुत्र करनाराम जी की सयुक्त खातेदारी की थी। बालूराम जी के दो पुत्र मदनराम, पप्पूराम तथा छः पुत्रीयां दिया, संतोष, कमलादेवी, प्रेमदेवी, राजूदेवी, विमलादेवी पत्नी सीतादेवी है। खातेदार बालूराम जी का देहान्त सन् 2004 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादीगण के पिता बालूराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादीगण का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश दीपादेवी व नेतुदेवी नाम लिख दिया, जबकि वादीगण का वास्तविक नाम दिया चौकीदार व संतोष है। वादी संख्या 1 दिया तथा वादी संख्या 2 संतोष को घर में लाड प्यार से दीपादेवी व नेतुदेवी पुकारते है और वादीगण का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम दिया चौकीदार व संतोष लिखा हुआ है। जब वादीगण के पिता बालूराम जी का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण में भूलवश या त्रुटीवश वादी संख्या 1 का नाम दीपादेवी व वादी संख्या 2 का नाम नेतुदेवी लिखवा दिया, जबकि वादीगण का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम दिया चौकीदार व संतोष है।वादीगण अभी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र, आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम दिया चौकीदार व संतोष लिखा हुआ है और जमाबन्दी में दीपादेवी व नेतुदेवी लिखा हुआ है, जिस पर बैंक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादीगण को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादीगण को राजस्व रेकर्ड मे अपने दीपादेवी के स्थान पर दिया चौकीदार व नेतुदेवी के स्थान पर संतोष नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी संख्या 1 दीपादेवी एवं दिया चौकीदार तथा वादी संख्या 2 नेतुदेवी एवं संतोष एक ही औरत है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने विवादग्रस्त भूमि दावे के पद संख्या 1 व 2 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दीपादेवी व नेतुदेवी नाम लिख देने से वादीगण न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का वैचान कर सकता है। वादीगण को घर पर लाड़ प्यार से दीपादेवी व नेतुदेवी पुकारते है, इस कारण वादीगण के पिता बालूरामजी का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलवश या बीना जानकारी के वादी संख्या 1 का नाम दीपादेवी तथा वादी संख्या 2 का नाम नेतुदेवी दर्ज कर दिया, जबकि वादी संख्या 1 व 2 के सरकारी दस्तावेज दिया चौकीदार व संतोष नाम से जारी किये हुए है. अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वाद कारण वादीगण अभी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक मैनेजर के पास गया और उनके द्वारा रेकर्ड में शुद्धि का इन्द्राज कराने का कहने पर वादीगण को वाद कारण ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 661 रकबा 2.7506 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दीपादेवी पुत्री बालूराम के स्थान पर दीया चौकीदार पुत्री बालूराम तथा नेतुदेवी पुत्री बालूराम के स्थान पर संतोष पुत्री बालूराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम दीपादेवी व नेतुदेवी के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर दीया चौकीदार व संतोष का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे । ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 659/3 रकबा 2.4270 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दीपादेवी पुत्री बालूराम के स्थान पर दीया चौकीदार पुत्री बालूराम तथा नेतुदेवी पुत्री बालूराम के स्थान पर संतोष पुत्री बालूराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम दीपादेवी व नेतुदेवी के स्थान की दुरुस्ती की जाकर उसके स्थान पर दीया चौकीदार व संतोष का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 7 की ओर से श्री प्रकाश राठौड अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 7 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद सं. 1 व 2 सही होने से स्वीकार है। वादी सं. 1 दिया तथा वादी सं. 2 संतोष को घर में लाड प्यार से दीपादेवी व नेतुदेवी पुकारते है, जबकि उनका सरकारी दस्तावेज में दिया चौकीदार व संतोष नाम दर्ज है। दिया चौकीदार व दीपादेवी तथा संतोष व नेतुदेवी एक ही औरत है जो बालूराम की जायन्दा पुत्रीया है। संयुक्त खातेदार बालूराम का देहान्त वर्ष 2004 में हो चुका है। संयुक्त खातेदार बालुराम के दो पुत्र मदनराम, पप्पुराम तथा छः पुत्रिया दिया चौकीदार, संतोष, कमलादेवी, प्रेमदेवी, राजूदेवी, विमलादेवी तथा पत्नी सीतादेवी है, इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत लिख

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

देने से वादीगण सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो गये है। पद सं. 8 से 10 कानूनी है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने का आदेश फरमावें। प्रतिवादी सं. 8 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 661 रकबा 2.7506 हैक्टयर स्थित है। यह है कि यह भूमि वादीगण के पिता बालूराम पुत्र करनाराम की संयुक्त खातेदारी में थी। वादीगण का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नाम विरासत नामा. सं. 1874 के जरिये दीपादेवी व नेतूदेवी दर्ज हुआ है। वादीगण द्वारा सरकारी/निजी दस्तावेज, पहचानकार्ड, आधारकार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम दिया चौकीदार व संतोष होना बताया। दीपादेवी व नेतूदेवी तथा दीपा चौकीदार व संतोष एक ही व्यक्ति है। वादीगण राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दिया चौकीदार व संतोष करवाना चाहती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पिचियाक की सरहद में स्थित खसरा नंबर 661 रकबा 2.7506 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में दीपादेवी पुत्री बालूराम के स्थान पर दीया चौकीदार पुत्री बालूराम तथा नेतुदेवी पुत्री बालूराम के स्थान संतोष पुत्री बालूराम की खातेदारी घोषणा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दीपादेवी के स्थान दीया चौकीदार व नेतुदेवी के स्थान पर संतोष की दुरूस्ती चाहती है। जिसमें भूमिधारी की सहमति है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र दिया चौकीदार पुत्र बालूराम का पेश किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खसरा नंबर 661 ग्राम पिचियाक , प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नंबर 659/3 ग्राम पिचियाक, प्रदर्श 3 जनआधार कार्ड दीया चौकीदार, प्रदर्श 4 बैंक डायरी , प्रदर्श 5 परिवार राशन कार्ड आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड दिया चौकीदार, प्रदर्श 2 जनआधार कार्ड दिया चौकीदार, प्रदर्श 3 परिवार राशन कार्ड दिया चौकीदार, प्रदर्श 4 आधार कार्ड संतोष, प्रदर्श 5 जनआधार कार्ड संतोष, प्रदर्श 6 पहचान पत्र संतोष, प्रदर्श 7 परिवार राशन कार्ड संतोष, प्रदर्श 8 भामाशाह कार्ड संतोष, प्रदर्श 9 यूनियन बैंक डायरी प्रतिलिपि दिया चौकीदार आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात में वादीगण का नाम दिया चौकीदार पुत्री बालूराम तथा संतोष पुत्री बालूराम दर्ज

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दीपादेवी पुत्री बालूराम व नेतुदेवी पुत्री बालूराम के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीगण के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दिया चौकीदार पुत्री बालूराम तथा संतोष पुत्री बालूराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने दीपादेवी पुत्री बालूराम व नेतुदेवी पुत्री बालूराम के स्थान पर दिया चौकीदार पुत्री बालूराम तथा संतोष पुत्री बालूराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 661 रकबा 2.7506 हैक्टयर व खसरा नंबर 659/3 रकबा 2.4270 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में दीपादेवी पुत्री बालूराम व नेतुदेवी पुत्री बालूराम के स्थान पर दिया चौकीदार पुत्री बालूराम तथा संतोष पुत्री बालूराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
दिया चौकीदार		मदनराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 78 / 2024

निर्णय **दिनांक :–** 23/09/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 7 की ओर से श्री प्रकाश राठौड अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 8 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 661 रकबा 2.7506 हैक्टयर व खसरा नंबर 659 / 3 रकबा 2.4270 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में दीपादेवी पुत्री बालूराम व नेतुदेवी पुत्री बालूराम के स्थान पर दिया चौकीदार पुत्री बालूराम तथा संतोष पुत्री बालूराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह – सालाना आज.की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/9/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा